अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखो अभिलेख हस्तक, १९६० का नियम १२८)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 132/2011

अनीता देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा सोनपुर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं0 9158/2012 में पारित आदेश दिनांक 28.02.13 से संबंधित है। यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 1098/आ0 दिनांक 01.12.11 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.11 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा अनीता देवी, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–दुधैला प्रखंड सोनपुर की दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम में, निम्नलिखित अनियमितताऍं पाई गई– 1. सूचनापट्ट तथा मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं था। 2. आवश्यक पंजी एवं माप तौल अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। 3. माह अक्टूबर 2011 के समाप्त हो जाने के बाद भी विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया था और न ही भंडार में खाद्यान्न दिखाया गया। 4. अनियमित ढंग से राशन/ किरासन तेल का वितरण किया जाता है तथा एक बार में दो कूपन फार लिया जाता है। 5. उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, के ज्ञापांक 988/आ0 दिनांक 17.11.11 के द्वारा उक्त अनियमितता के लिए कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर	

विकेता की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1098/आ0 दिनांक 01.12.11 के द्वारा रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विकेता की तबीयत अचानक खराब होने के कारण माह अक्टूबर 2011 के खाद्यान्न का विकेता के द्वारा वितरण नहीं किया गया था। उनके पति की तबियत भी काफी खराब थी, जिस वजह से वितरण कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका था। विकेता के द्वारा अक्टूबर का राशन/किरासन वितरण कर दिया गया है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गई थी उनके द्वारा दिया गया बयान भी जवाब के साथ संलग्न किया गया है। उपभोक्ताओं के द्वारा की गई यह शिकायत कि विकेता के द्वारा एक बार में दो माह का कूपन फार लिया जाता है बिल्कुल गलत है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उनके साथ संलग्न कागजात सही प्रतीत नहीं होता है। पहले शिकायत करना और उसके बाद पुनः विकेता के पक्ष में बयान दिया जाना न केवल आपतिजनक है, बल्कि संदेहास्पद भी है। अतः विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.12.2011 (1098/आ0 दिनांक 01.12.11 के द्वारा संसूचित) एक मुखर आदेश (Speaking order) है। पहले उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत करना और बाद में विकेता के पक्ष में बयान दिया जाना अपने आप में संदेहास्पद है, एवं अनियमितता की ओर इशारा करता है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता मै महसूस नहीं करता हूँ। अतः अनुज्ञापन

15 पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखा जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.12.2011 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 255 /न्या/दिनांक 17/4/15

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
17/4/15